

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक : पटना, दिनांक :  
4तक0/भू0 सम्परिवर्तन/09/2015

प्रेषक,

निदेशक,  
तकनीकी विकास,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,,  
अनुमंडल कार्यालय, बक्सर  
जिला- बक्सर

विषय :

मे0 मुनी विश्वामित्र राईस मिल, नावानगर, बक्सर द्वारा नावानगर, जिला- बक्सर में 96000 मे0 टन क्षमता का प्रतिवर्ष राईस मिल की इकाई स्थापना के लिए भूमि सम्परिवर्तन के निमित्त भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार पत्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि मे0 मुनी विश्वामित्र राईस मिल, नावानगर, बक्सर द्वारा नावानगर, जिला- बक्सर में 96000 मे0 टन क्षमता का प्रतिवर्ष राईस मिल की इकाई स्थापना के लिए अपने आवेदन, के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर कुल 3.65 एकड़ (तीन एकड़ पैसठ डीसमल) भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 की कंडिका-3(ii)(ग) में संशोधन से संबंधित संकल्प ज्ञापांक 09, दिनांक 05.01.2015 एवं संकल्प ज्ञापांक 1475 दिनांक 11.08.2015 निर्गत है। साथ-ही उद्योग विभाग के पत्रांक 1474 दिनांक 11.08.2015 एवं पत्रांक 1630 दिनांक 01.09.2015 द्वारा भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने हेतु प्रकिया निर्धारित है। इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 30 दिनांक 10.01.2013 द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में मे0 मुनी विश्वामित्र राईस मिल, नावानगर, जिला- बक्सर के पक्ष में उद्योग स्थापना हेतु मौजा- जितवाहाडीह,, थाना नं0-431 खाता नं0-78 ,खेसरा नं0-117 एवं 118 से कुल रकबा- 3.65 एकड़ (तीन एकड़ पैसठ डीसमल) भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है। इकाई के स्तर से उद्योग स्थापना के निमित्त प्राप्त भूमि संबंधी कागजात की प्रति संलग्न है।

कृपया इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने के उपरान्त भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट की राशि सहित पूर्ण विवरण के साथ एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक- यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
निदेशक,  
तकनीकी विकास,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक : पटना, दिनांक :  
4तक0/भू0 सम्परिवर्तन/09/2015

प्रेषक,

निदेशक,  
तकनीकी विकास,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,,  
अनुमंडल कार्यालय, बक्सर  
जिला- बक्सर

विषय :

मे0 मुनी विश्वामित्र राईस मिल, नावानगर, बक्सर द्वारा नावानगर, जिला- बक्सर में 96000 मे0 टन क्षमता का प्रतिवर्ष राईस मिल की इकाई स्थापना के लिए भूमि सम्परिवर्तन के निमित्त भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार पत्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि मे0 मुनी विश्वामित्र राईस मिल, नावानगर, बक्सर द्वारा नावानगर, जिला- बक्सर में 96000 मे0 टन क्षमता का प्रतिवर्ष राईस मिल की इकाई स्थापना के लिए अपने आवेदन, के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर कुल 3.65 एकड़ (तीन एकड़ पैसठ डीसमल) भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 की कंडिका-3(ii)(ग) में संशोधन से संबंधित संकल्प ज्ञापांक 09, दिनांक 05.01.2015 एवं संकल्प ज्ञापांक 1475 दिनांक 11.08.2015 निर्गत है। साथ-ही उद्योग विभाग के पत्रांक 1474 दिनांक 11.08.2015 एवं पत्रांक 1630 दिनांक 01.09.2015 द्वारा भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने हेतु प्रकिया निर्धारित है। इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 30 दिनांक 10.01.2013 द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में मे0 मुनी विश्वामित्र राईस मिल, नावानगर, जिला- बक्सर के पक्ष में उद्योग स्थापना हेतु मौजा- जितवाहाडीह,, थाना नं0-431 खाता नं0-78 ,खेसरा नं0-117 एवं 118 से कुल रकबा- 3.65 एकड़ (तीन एकड़ पैसठ डीसमल) भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है। इकाई के स्तर से उद्योग स्थापना के निमित्त प्राप्त भूमि संबंधी कागजात की प्रति संलग्न है।

कृपया इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने के उपरान्त भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट की राशि सहित पूर्ण विवरण के साथ एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक- यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
निदेशक,  
तकनीकी विकास,  
बिहार, पटना।


ज्ञापांक : पटना, दिनांक :  
प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, बक्सर/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं  
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
निदेशक,  
तकनीकी विकास,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : पटना, दिनांक :  
प्रतिलिपि : मे0, मुनी विश्वामित्र राईस मिल, नावानगर, जिला- बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
निदेशक,  
तकनीकी विकास,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 587 पटना, दिनांक : 16.03.16  
प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईद पर देने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
15.03.2016  
निदेशक,  
तकनीकी विकास,  
बिहार, पटना।  
